

एडवांस एवं मॉर्डन मेडिकल कालेज के सत्र 2016-17 के प्रवेशित छात्रों के पुर्नआवंटन के उपरान्त शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश से पूर्व स्कूटनी संबंधी प्रारूप

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2016 के नियम भली भाँती पढ़कर समझ लिये है तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रहीं हूँ। स्कूटनी में भाग लेने के लिये आज दिनांक ..... को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा/रहीं हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुसार नहीं है, अथवा असत्य है, अथवा अधूरी है तो मैं प्रवेश के लिये अपात्र हो जाऊंगा/जाऊंगी।

1. उम्मीदवार का पूरा नाम
2. माता/पिता का नाम
3. दूरभाष नंबर/ईमेल आईडी
4. नीट यू0जी0 2016 का रोल नंबर
5. नीट यू0जी0 2016 की मूल अंकसूची
6. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)
6. श्रेणी (अनारक्षित/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)
7. पहचान हेतु निम्न में से एक दस्तावेज का होना अनिवार्य है :-
  - अ. वोटर आईडी
  - ब. आधार कार्ड
  - स. ड्राईविंग लायसेंस
  - द. पासपोर्ट
8. अनिवासी भारतीय संबंधी प्रमाण पत्र (प्रवेश विनियम 2016, 2 का (ड))

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार प्रवेश के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों से प्रवेश के लिये पात्र नहीं है। (कारण स्पष्ट रूप से अंकित करें)

सदस्य स्कूटनी समिति

अध्यक्ष स्कूटनी समिति